संलग्नक-2

प्रेषक,

पी.एन. श्रीवास्तव,
प्रभारी अधिकारी प्रशासन/
सदस्य, चयन प्राधिकारी/
अपर जिला जज, कक्ष संख्या 01, औरैया।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
औरैया।

विषयः सिविल न्यायालय औरैया में कार्यरत दस कनिष्ठ सहायकों की अवैध प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के साथ माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.07.2022 की छायाप्रति प्राप्त हुई है, जो उत्तर प्रदेश दीवानी कर्मचारी संघ के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुई थी। इस छायाप्रति के अनुसार माननीय महोदय के द्वारा तथा सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री दिवाकर प्रसाद के हस्ताक्षर से नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण समिति का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा माननीय महोदय ने कुल दस ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने दिनांक 25.07.2022 को मात्र दो वर्ष आठ माह की सेवा पूर्ण कर ली थी, उनकी असंगत शासनादेशों/रूलिंग का सहारा लेकर के प्रोन्नति कर दी गयी है, जिनके नाम निम्न हैं–

1. श्री अभिषेक यादव
2. श्री प्रशान्त कटियार
3. श्री जाविद
4. श्री अमित कुमार
5. श्री यशवंत सिंह
6. श्री मोहित मिश्रा
7. श्री संदीप कुमार
8. श्री विक्रम सिंह
9. श्री प्रदीप सिंह
10. श्री अर्पित कुमार

01. महोदय, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल 2013 जो 04 जुलाई 2013 से प्रवृत्त है, के नियम 2 में चयन प्राधिकारी शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें जिला जज, वरिष्ठतम अपर जिला जज तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन की समिति है, जिसे प्रत्यक्ष नियुक्त एवं प्रोन्नति से नियुक्ति किये जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः किसी एक भी सदस्य की अनुपस्थिति में प्रोन्नति का आदेश अवैधानिक है,

क्योंकि प्रोन्नति ऐसी आकस्मिकता नहीं है, जिसे एक सदस्य के आकस्मिक अवकाश जाने पर कर दिया जाए।

02. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल, 2013 की अनुसूची "बी" में पात्रता की शर्तें लिखी हैं, जिसके अनुसार कोई कनिष्ठ सहायक पे बैंड 5200–20200 ग्रेड पे 2000/– जब तक पांच वर्ष की सेवा पूर्ण न कर ले, उसे वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सितम्बर 2014 में शासनादेश भी निर्गत किये गए हैं, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने अंगीकृत किया है।

03. यह कि दिनांक 05.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत करने के लिए पांच वर्ष की अर्हता सेवा को शिथिल करके तीन वर्ष कर दिया है, परन्तु माननीय महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के आदेश का अतिक्रमण करते हुए तीन वर्ष से भी अर्हता सेवा को शिथिल करके दो वर्ष आठ माह में ही कर दिया, जबकि नियम शिथलीकरण के लिए नियोक्ता से एक पंक्ति के ऊपर के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन दिनांक 25.07.2022 को माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश को माननीय उच्च न्यायालय से बिना नियम के शिथलीकरण की अनुमति प्राप्त किए ही कर दिया है, जो अत्यंत अवैधानिक है।

04. यह कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने छद्म और असंगत शासनादेशों का उल्लेख करते हुए एक भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और स्वयं ही नियमावली विकसित कर दी है, जबकि जो विधि व्यवस्थाएं इस रिपोर्ट में उल्लिखित हैं, उनका इस प्रोन्नति से कोई लेनादेना नहीं है और जब विभागीय प्रोन्नति परिवीक्षा, वरिष्ठता अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु एक विशिष्ट नियमावली उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल, 2013 उपलब्ध है और माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति का संकल्प है तो इसका अतिक्रमण करते हुए की गई प्रोन्नति अवैधानिक है और राजकोष पर अनावश्यक बोझ है।

05. उक्त आदेश पारित करते हुए माननीय महोदय द्वारा कर्मचारियों के संतोषजनक सेवा के आगणन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 761–1/93 कार्मिक अनुभाग, दिनांक 30.06.1993 की भी उपेक्षा की गयी और रिपोर्ट के पैरा 12 में यह लिख दिया गया है कि चयन समिति को उपयुक्तता के मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है, जबकि उपरोक्त शासनादेश में संतोषजनक सेवा का मानक उन कसौटियों पर रखना है, जो इन शासनादेशों में अंकित हैं। इस प्रकार इस रिपोर्ट में किसी भी

कर्मचारी की चरित्र पंजिका की Summery, वार्षिक प्रविष्टि, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का कोई उल्लेख नहीं है।

06. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल, 2013, माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के संकल्प, कार्मिक अनुभाग के शासनादेश संख्या 761 सभी का उल्लंघन करते हुए निहित स्वार्थवश यह रिपोर्ट तैयार की है, जो कि पूर्णतया अवैध, असंगत और शून्य है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि दिनांक 25.07.2022 को पारित किए गए दस कनिष्ठ सहायकों के वरिष्ठ सहायकों के पद पर प्रोन्नत करने के आदेश को अविलंब अपास्त किया जाए और उनसे वेतन की रिकवरी करते हुए पुनः प्रोन्नति की प्रक्रिया चयन प्राधिकारी को संदर्भित की जाए।

18.1.23

पी.एन. श्रीवास्तव,
प्रभारी अधिकारी प्रशासन/
सदस्य, चयन प्राधिकारी/
अपर जिला जज, कक्ष संख्या 01,
औरैया।

शुलभ संदर्भ के लिए माननीय महोदय के द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

Received 18/01/23

प्रतिलिपिः श्री दिवाकर कुमार, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, औरैया/सदस्य चयन समिति, को सूचनार्थ।

18.1.23

पी.एन. श्रीवास्तव,
प्रभारी अधिकारी प्रशासन/
सदस्य, चयन प्राधिकारी/
अपर जिला जज, कक्ष संख्या 01,
औरैया।

Received
18/01/23